खबरों में रहे स्टॉक

रूट मोबाइल

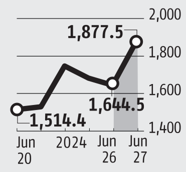

माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉक्सिमस के बीच डिजिटल संचार और क्लाउड के संबंध में साझेदारी

₹ 1,644.5 पिछला बंद भाव
₹ 1,877.5 आज का बंद भाव
14.2 % ▲

रेल विकास निगम

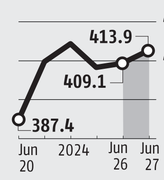

73 करोड़ की परियोजना के लिए उत्तर मध्य रेलवे के साथ समझौता

₹ 409.1 पिछला बंद भाव
₹ 413.9 आज का बंद भाव
1.2 % ▲

केईसी इंटरनैशनल

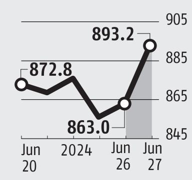

टीऐंडडी और केबल कारोबारों में 1,025 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले

₹ 863.0 पिछला बंद भाव
₹ 893.2 आज का बंद भाव
3.5 % ▲

जेनेसिस इंटरनैशनल कॉर्प

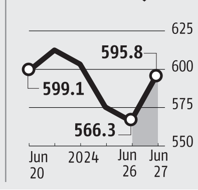

वाहन और मोबिलिटी समाधानों के लिए एनएनजी के साथ साझेदारी

₹ 566.3 पिछला बंद भाव
₹ 595.8 आज का बंद भाव
5.2 % ▲

जेएसडब्ल्यू एनर्जी

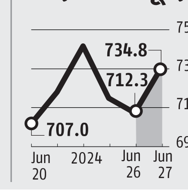

1,325 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद समझौता किया

₹ 712.3 पिछला बंद भाव
₹ 734.8 आज का बंद भाव
3.2 % ▲

संक्षेप में

टाटा सबसे बड़ा ब्रांड इन्फोसिस दूसरे स्थान पर

टाटा समूह ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है जबकि इन्फोसिस और एचडीएफसी समूह को ब्रांड फाइनैंस की रिपोर्ट में दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। ब्रांड मूल्यांकन सलाहकार 'ब्रांड फाइनैंस' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विविध कारोबार क्षेत्रों में सक्रिय टाटा समूह का ब्रांड मूल्य नौ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28.6 अरब डॉलर हो गया है। एक बयान के मुताबिक, टाटा समूह ऐसा पहला भारतीय ब्रांड है जो 30 अरब डॉलर का ब्रांड मूल्यांकन हासिल करने के करीब पहुंच रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इन्फोसिस ने भी नौ प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि हासिल की है। वैश्विक आईटी सेवा क्षेत्र में मंदी के बावजूद इसका ब्रांड मूल्य 14.2 अरब डॉलर आंका गया है। एचडीएफसी समूह 10.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ तीसरे नंबर का भारतीय ब्रांड बन गया है। *भाषा*

स्पर्श सीसीटीवी लगाएगी 300 करोड़ रुपये

स्पर्श सीसीटीवी की अगले पांच साल में 300 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। कंपनी सरकार के 'मेड इन इंडिया' निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहती है। इस निवेश से इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों की अग्रणी विनिर्माता कंपनी को अपने काशीपुर संयंत्र में परिचालन बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्पर्श सीसीटीवी के प्रबंध निदेशक संजीव सहगल ने बयान में कहा कि स्पर्श सीसीटीवी की मौजूदा क्षमता 25 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। *भाषा*

विदेशी होल्डिंग कंपनियों को जीएसटी की बड़ी राहत

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 जून

अपनी भारतीय सहायक कंपनियों को कर्ज देने वाली विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन लेनदेन पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगाया जाएगा। यह बात कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इन कर्ज पर ब्याज के रूप में ली जाने वाली राशि के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क, कमीशन या उस तरह का कुछ भी 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के दायरे में आएगा।

इस कदम से समूह की कंपनियों में लोन/क्रेडिट पर कर लगाने से संबंधित अनिश्चितता खत्म होने की उम्मीद है, जो उन सैकड़ों विदेशी कंपनियों को परेशान कर रही हैं, जहां जीएसटी जांच के दौरान यह मसला उठा था और इसके परिणामस्वरूप कर वसूली के नोटिस भेजे गए थे।

कराधान के लिहाज से इस मसले में विदेशी साझेदारों से आयात की गई सेवाओं का मूल्यांकन करना शामिल था, जब ये सेवाएं हासिल करने वाले भारतीय प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स (आईटीसी) के लिए संपूर्ण क्रेडिट का दावा कर सकते थे।

माना जा रहा है कि इस कदम से समूह कंपनियों में लोन/क्रेडिट पर कर लगाने से संबंधित अनिश्चितता खत्म होगी

सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सेवाओं के लिए खुले बाजार का मूल्य भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए बिल की राशि हो सकती है, यह मानते हुए कि संपूर्ण आईटीसी उपलब्ध है। अगर कोई बिल मौजूद नहीं है, तो सेवा मूल्य को शून्य माना जा सकता है।

केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख और साझेदार अभिषेक जैन ने कहा 'समूह की कंपनियों के बीच ऋणों की कर देयता पर बड़ी मुकदमेबाजी को शांत करने के लिए यह स्पष्टीकरण काफी जरूरी था। दिलचस्प बात यह है कि सीबीआईसी के परिपत्र में बरकरार रखे गए सिद्धांत संबंधित पक्षों के बीच विभिन्न मुफ्त लेनदेन की कर देयता का मूल्यांकन करने में काफी हद तक सहायता कर सकते हैं।'

इसी तरह अगर कोई विदेशी कंपनी घरेलू फर्मों के कर्मचारियों को ईसॉप, ईएसपीपी या प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट योजना जारी करने पर कोई शुल्क लगाती है या अतिरिक्त शुल्क मांगती है, तो जीएसटी लागू होगा।

यह मसला भारतीय सहायक कंपनियों और उनकी होल्डिंग कंपनियों के बीच प्रतिपूर्ति के संबंध में था, जहां होल्डिंग कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों को सीधे कर्मचारी को आवंटित करने का विकल्प होता है। यह स्पष्ट करता है कि लागत-से-लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे लेनदेन कर योग्य सेवा नहीं हैं।

ईवाई के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा यह घटनाक्रम अनुपालन और बेहतरीन कर नियोजन दोनों के ही मामले में ईसॉप लेनदेन को सावधानीपूर्वक संरचित करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा यह विभिन्न कारोबारी परिदृश्यों में लागत-से-लागत प्रतिपूर्ति के कराधान पर व्यापक बहस को जन्म देता है, जो समान संदर्भों में जीएसटी की व्यावहारिकता की व्याख्याओं को संभावित रूप से प्रभावित करता है।

स्पेक्ट्रम खरीद से वी की 4जी सेवाओं को मिलेगी ताकत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 27 जून

विश्लेषकों ने गुरुवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया (वी) द्वारा न केवल नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम की बड़े पैमाने पर खरीद की गई है, बल्कि नई नीलामी में 1800 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में नए 4जी स्पेक्ट्रम की खरीद से 9 सर्कलों में दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

6,856 करोड़ रुपये की बोलियों के साथ, भारती एयरटेल स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी खरीदार थी और उसने 97 मेगाहर्ट्ज की खरीदारी की। दूरसंचार बाजार की दिग्गज रिलायंस जियो ने 973 करोड़ रुपये में 14.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। वी ने 3,510.4 करोड़ रुपये में 30 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने गुरुवार को एक विश्लेषक रिपोर्ट में कहा, 'हालांकि उसे दो सर्कलों में 900 मेगाहर्ट्ज नवीकरण की चुनौती का सामना करना पड़ा, वहीं वी ने सात अन्य सर्कलों में इस बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। इनमें से कई बैंड में, वी ने 1.2 मेगाहर्ट्ज या 2.4 मेगाहर्ट्ज जैसी कम मात्रा में स्पेक्ट्रम लिया। इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 2जी ट्रैफिक को पार्क करने के लिए किया जा सकता है, और यह कंपनी को अधिक 4जी ग्राहक जोड़ने में सक्षम बना सकता है।' कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने कहा कि वी ने नेटवर्क क्षमता में सुधार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार सर्कलों में मिड-बैंड में भी स्पेक्ट्रम हासिल किया है, जिससे नेटवर्क अनुभव में सुधार आएगा। उसने कहा है कि एयरटेल के पास अब 10 सर्कलों में कम से कम 10 मेगाहर्ट्ज सब-गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, जिससे जियो के खिलाफ उसकी प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है।

बड़े बदलाव के आसार नहीं

हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि स्पेक्ट्रम नीलामी में मिली इस सफलता के बाद तीनों ऑपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। जियो और भारती पहले से ही इस क्षेत्र के राजस्व में संयुक्त रूप से 78 प्रतिशत का नियंत्रण रखती हैं।

एलजीबीआई का नया टर्मिनल अप्रैल में खुलेगा

गुवाहाटी में अदाणी समूह द्वारा संचालित गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय (एलजीबीआई) हवाई अड्डे का नया टर्मिनल अप्रैल 2025 तक तैयार हो जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी (सीएओ) उत्पल बरुआ ने बताया कि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से बनाए जा रहे टर्मिनल को पहले दिसंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। *भाषा*

फेयरफैक्स ने बेचा सीएसबी बैंक का 9.7 % हिस्सा : कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स के फेयरफैक्स समूह ने गुरुवार को सीएसबी बैंक की 9.7 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश खुले बाजार में लेनदेन के जरिये किया। समूह की इकाई एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स ने सीएसबी बैंक के 1.68 करोड़ शेयर एनएसई पर ब्लॉक डील के जरिये बेच दिए। *एजेंसियां*

ऋषि राज गुप्ता ने दिया इस्तीफा

सोशल मीडिया दिग्गज मेटा इंडिया और एपीएसी के मानव संसाधन प्रमुख ऋषि राज गुप्ता ने अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुप्ता ने भारत में मेटा के सभी कारोबारों के लिए एचआर व्यवसाय साझेदारी का नेतृत्व किया है। साल 2017 में शामिल होने के बाद वे भारतीय नेतृत्व टीम का अभिन्न अंग थे। मेटा के प्रवक्ता ने कहा 'ऋषि ने अपने करियर के नए चरण की दिशा में बढ़ने के लिए मेटा के इंडिया/एपीएसी का एचआर निदेशक पद छोड़ने का फैसला किया है। पिछले सात वर्षों के दौरान ऋषि भारत में नेतृत्व टीम के अभिन्न सदस्य रहे हैं और उन्होंने पूरे क्षेत्र में संगठन की वृद्धि और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।' *बीएस*

मकान महंगे होने से घटी बिक्री

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 27 जून

मकान महंगे होने का असर अब इनकी बिक्री पर दिखने लगा है। इस साल की दूसरी तिमाही में मकानों की बिक्री पहली तिमाही से 8 फीसदी कम रही। हालांकि सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में ज्यादा मकान बिके। मकानों की लॉन्चिंग तिमाही आधार पर 6 फीसदी बढ़कर 1.17 लाख हो गई। सालाना आधार पर इसमें 14 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के 7 प्रमुख शहरों में दूसरी तिमाही में मकानों की कीमत में तिमाही आधार पर 4 से 10 फीसदी और सालाना आधार पर 13 से 39 फीसदी इजाफा हुआ है। मकानों की इन्वेंट्री में तिमाही और सालाना दोनों आधार पर कमी आई है।

इस साल की दूसरी तिमाही खत्म होने के कुछ दिन पहले जारी संपत्ति सलाहकार फर्म एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल की दूसरी तिमाही में 1.20 लाख मकान बिके, जो पहली तिमाही में बिके रिकॉर्ड 1.30 लाख मकानों से 8 फीसदी कम है। इससे पहले 2022 में अप्रैल-जून में तिमाही आधार पर मकानों की बिक्री 15 फीसदी गिरकर 84,925 रह गई थी। इस साल दूसरी तिमाही में 7 प्रमुख शहरों में एनसीआर एक मात्र ऐसा रियल एस्टेट बाजार रहा, जिसमें तिमाही आधार पर मकानों की बिक्री 6 फीसदी बढ़कर 16,550 हो गई। तिमाही आधार पर मकान भले कम बिके हों। लेकिन सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में मकानों की कुल बिक्री 5 फीसदी बढ़ी है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में करीब 1.15 लाख मकान बिके थे।

एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं, "इस साल दूसरी तिमाही में मकानों की बिक्री में तिमाही आधार पर गिरावट मुख्य रूप से पिछली तिमाही में बिक्री सर्वकालिक स्तर पहुंचने के कारण आई। इसके साथ ही पिछले एक साल में संपत्ति की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि भी बिक्री में कमी का महत्वपूर्ण कारण है। 7 प्रमुख शहरों में तिमाही आधार पर मकानों की कीमत में औसतन 7 फीसदी और सालाना आधार पर औसतन 25 फीसदी वृद्धि हुई है'

अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स में खरीदा 23 फीसदी हिस्सा

पृष्ठ 1 का शेष

दक्षिण भारत में अल्ट्राटेक की अपनी इकाई भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अल्ट्राटेक को अपनी कुछ संपत्तियों में नकदी लगानी पड़ेगी और कुछ संयंत्रों के पास चूना पत्थर का भंडार भी कम है।'

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि 23 फीसदी हिस्सेदारी के बावजूद अल्ट्राटेक की इंडिया सीमेंट्स के बोर्ड में शामिल होने की कोई योजना नहीं है।

इंडिया सीमेंट्स में आगे और हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अन्य सवालों की जानकारी के लिए अल्ट्राटेक को ईमेल भेजा गया. लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। प्रभुदास लीलाधर में विश्लेषक तुषार चौधरी ने कहा, 'इंडिया सीमेंट की उत्पादन क्षमता 1.45 करोड़ टन सालाना है और साथ ही उसके पास सालाना 1.13 करोड़ टन क्लिंकर उत्पादन की भी क्षमता है। ऐसे में अल्ट्राटेक अगर भविष्य में इंडिया सीमेंट्स के प्रवर्तकों के साथ कोई सौदा करने में सफल होती है तो दक्षिण भारत के बाजारों में उसकी पैठ बढ़ जाएगी।' निवेशकों के सामने प्रस्तुति में कंपनी ने बताया कि इस साल मार्च तक दक्षिण भारत में अल्ट्राटेक की सालाना 2.05 करोड़ टन की सीमेंट उत्पादन की क्षमता थी। केसोराम इंडस्ट्रीज से सौदा पूरा होने के बाद इसमें 1.07 करोड़ टन क्षमता का इजाफा हो जाएगा।

उद्योग के विश्लेषकों ने कहा कि केसोराम की उत्पादन क्षमता के साथ अल्ट्राटेक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी बन जाएगी। जब कंपनी खुद भी क्षमता विस्तार करेगी तो वित्त वर्ष 2027 तक दक्षिण में उसकी क्षमता बढ़कर 3.55 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। अगर अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदती है तो कंपनी की दक्षिण भारत में कुल मौजूदा क्षमता में 3.5 करोड़ टन फौरन जुड़ जाएंगे।

एलाइड ब्लेंडर्स के आईपीओ को 23.49 गुना बोली

ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स ऐंड डिस्टिलर्स के आईपीओ को गुरुवार को बोली के अंतिम दिन 23.49 गुना बोली मिली। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 1,500 करोड़ रुपये की शुरुआती शेयर बिक्री में 3,93,71,669 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 92,49,01,092 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के हिस्से को 50.37 गुना आवेदन मिले, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 32.35 गुना बोली मिली। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 4.42 गुना आवेदन मिले।

आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 500 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश शामिल है। आरंभिक शेयर बिक्री का मूल्य दायरा 267-281 रुपये प्रति शेयर है। एंकर निवेशकों से 449 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नए निर्गम से प्राप्त राशि में 720 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। और एक हिस्सा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। *भाषा*

एल&टी फाइनान्स लिमिटेड
(पहले एल&टी होल्डिंग्स फायनांस लि.)
पंजीकृत कार्यालय: एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098
सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: लखनऊ

L&T Finance

मांग सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरों) को रजिस्टर्ड डाक एक्नॉलेज ड्यू के माध्यम से कानून की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, क्यों कि आपने बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है, और इस बकाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है. परिणामस्वरूप नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए गए आस्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सूचना ''बिना प्राप्ति के लौट आई है'' और इसलिए अब हम कानून की धारा 13(2) के तहत सभी को यह सूचना जारी कर रहे हैं और एतद्द्वारा नीचे सूचना में संलग्न राशि एल&टी फायनांशियल सर्विसेस (पूर्व की, एल&टी फाइनान्स लि,) इस पेपर अधिसूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अंदर मांग सूचना के दिनांक से लेकर भुगतान तक के आगामी ब्याज सहित चुकाने का आवाहन कर रहे हैं. यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4) या धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे. ''यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा.

ऋण खाता संख्या	कर्जदारों और सहकर्जदारों का नाम	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि		अचल संपत्ति (मॉर्टगेज्ड) का वर्णन
		एनपीए दिनांक	बकाया राशि (₹) यथा	
LUCHL19 000023, LUCHL19 000064, LUCHL19 000024	1. अजीत अगरवाल 2. राधेगोविंद अगरवाल 3. अमित अगरवाल 4. पियूष अगरवाल मे. श्री बालाजी मेडिकल स्टोर (अपने साझेदार अजीत अगरवाल के माध्यम से)	माँग सूचना दिनांक : 08/06/2024 एनपीए दिनांक : 06/05/2024	रु. 60,79,364.89/- (साठ लाख उनासी हजार तीन सौ चौंसठ रुपए और नवासी पैसे) दिनांक 06/06/2024	**अनुसूची 1** संपत्ति के सभी हिस्से और अंश, जिसका पता है : फ्लैट नं. 1ए, जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसकी माप 385 वर्ग फीट, यानी 35.780 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नं. 406 एवं 407, नगर निगम नं. 439सी/173 (32 एवं 1) एवं ई-494, के-494 पर निर्मित है, जो कि प्रताप एनक्लेव, तहसीनगंज, हरदोई रोड, तहसील एवं जिला लखनऊ पर स्थित है. इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है : सीमाएँ: पूर्व – विक्रेता के फ्लैट नं. 2बी का रास्ता; पश्चिम – विक्रेता का फ्लैट नं. 01; उत्तर – हरदोई रोड की ओर खुला बरामदा; दक्षिण – विक्रेता का फ्लैट नं. 2बी **अनुसूची 2** संपत्ति के सभी हिस्से और अंश, जिसका पता है : फ्लैट नं. 2बी, जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसकी माप 410.4 वर्ग फीट, यानी 38.141 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नं. 406 एवं 407, नगर निगम नं. 439सी/173 (32 एवं 1) एवं ई-494, के-494 पर निर्मित है, जो कि प्रताप एनक्लेव, तहसीनगंज, हरदोई रोड, तहसील एवं जिला लखनऊ पर स्थित है. इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है : सीमाएँ: पूर्व – पार्किंग और अन्य फ्लैटों का रास्ता; पश्चिम – विक्रेता का फ्लैट नं. 01; उत्तर – विक्रेता का फ्लैट नं. 2ए; दक्षिण – विक्रेता की पार्किंग

दिनांक: 28.06.2024
स्थान: लखनऊ

कृते/-
प्राधिकृत अधिकारी
एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के लिए

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएनः U67100TZ2014PTC020363
पंजीकृत कार्यालय : 9, एम.पी. नगर, पहली गली, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर-641607
कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी.गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028, दूरभाष : 022-69231111/ 8591439533

(परिशिष्ट-IV-A) (नियम 8(1), 8(6) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1), नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार यानी **ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल)**, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (सरफैसी अधिनियम, 2002) की धारा 3 के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है; जिसका सीआईएन नंबर **U67100TZ2014PTC020363** है और इसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर - 641607 और कॉर्पोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 है, जो ओमकारा पीएस-26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है, के पास नीचे वर्णित अचल संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति) बंधक/प्रभारित है। इसने दिनांक 30-09-2021 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पीएचएफएल) (जिसे पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं) के संपूर्ण बकाया के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित हासिल कर लिए हैं।

इसके अलावा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी को 27-05-2023 को प्रतिभूत परिसंपत्ति (संपत्तियों) का भौतिक कब्जा दे दिया गया है और उक्त परिसंपत्ति (संपत्तियों) को नीचे उल्लिखित तिथि पर **'जहां है जैसा है', 'जो है यही है', और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) / गारंटर (रों) / बंधक (ओं) से प्रतिभूत ऋणदाता को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली की जा सके। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं।

कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया देयताएं रुपये में
1.सलीम खान (कर्जदार/बंधककर्ता) 2.समरीन नाज (सह-कर्जदार)	आराजी नं. 58 का भाग, कटरी पीपर खेड़ा, परगना हड़हा, तहसील एवं जिला उन्नाव, कानपुर - 209861. माप 360 वर्ग गज।	06-02-2020 तक रु. 26,59,961/- (रुपये छब्बीस लाख उनसठ हजार नौ सौ इकसठ मात्र) तथा उस पर आज तक का संविदात्मक ब्याज और अन्य शुल्क।
मांग सूचना की तिथि - 19-02-2020, कब्जे की तिथि - 27-05-2023		
आरक्षित मूल्य (रु.) - 19,42,000, ईएमडी (रु.) - 1,94,200		
निरीक्षण दिनांक एवं समय - 11-07-2024 को सायं 4:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक		
ईएमडी भुगतान और बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथिः 16-07-2024 को शाम ??6:00 बजे तक		
नीलामी दिनांक और समयः 17-07-2024 समयः 03:00 अपराह्न - 05:00 अपराह्न, वृद्धि मूल्यः रु 25,000/-		

1. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता 'मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड', दूरभाषः +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडीः **support@bankeauctions.com** या श्री भाविक पंड्या, मोबाइलः 88666 82937 ई-मेल - **maharashtra@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं। 2. संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न या संपत्ति अनुसूची के निरीक्षण के लिए, इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी - कल्पेश ओझा (मोबाइल - 9769825323), ई-मेलः **kalpesh.ojha@omkaraarc.com** या ऊपर बताए गए पते पर कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया **http://omkaraarc.com/auction.php** पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए सांविधिक नोटिस

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/गारंटर को 15 (पन्द्रह) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त संदर्भित तिथि और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत निर्धारित समय के भीतर ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान लागत और व्यय के साथ परिसंपत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 28 जून, 2024 ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थान - मुंबई (ओमकारा पीएस 29/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

गुणवत्ता खामियों पर कसेगा सीडीएससीओ का शिकंजा

सोहिनी दास
मुंबई, 27 जून

भारतीय दवा नियामक देश में दवा इकाइयों के गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल के दिनों में जिन विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया, उनमें से लगभग 36 प्रतिशत को गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर बंद होना पड़ा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इनमें से लगभग 10 प्रतिशत इकाइयों ने स्थायी रूप से काम बंद कर दिया है क्योंकि वे सुधार की कार्य योजनाएं बनाने में विफल रहीं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) दिसंबर 2022 से विनिर्माण इकाइयों का जोखिम आधारित निरीक्षण कर रहा है। भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) के वैश्विक फार्मास्युटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन-2024 में भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) राजीव रघुवंशी ने कहा कि इन जोखिम आधारित निरीक्षणों के तहत करीब 400 इकाइयों का मुआयना किया गया और करीब 36 प्रतिशत को बंद करना पड़ा क्योंकि वे मानकों का पालन करने में विफल थीं।

रघुवंशी ने कहा, 'जिन इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, उनमें से लगभग 10 प्रतिशत को स्थायी रूप से प्रणाली से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्हें इस बात का भान हुआ कि वे गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं कर पाएंगी। शेष इकाइयां सुधार के उपायों और निवारक कार्य योजनाओं के साथ लौट आई हैं।'

उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि घटियां इकाइयों को हटाया जा रहा है।

लखनऊ संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, बी-5, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेहरा बिज़नेस चैंबर्स, चैंबर नंबर-8,19-सी2एन विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. UPHIN/2008/25502 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं